14 बार एक्सटैंशन व छः सालों के इंतजार के बाद आई रोहिणी आयोग की रिपोर्ट

नई दिल्ली, 1 अगस्त। अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए आरक्षण सिस्टम में व्याप्त खामियों को दूर करने तथा ओ.बी.सी. के अंतर्गत नये सब कैटिगरी जोड़ने के लिए बनाई गई रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आखिरकार छः सालों बाद सामने आ ही गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग की सब-कैटेगरी पर गौर करने के लिए बने आयोग ने सोमवार को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब विपक्षी दलों की ओर से जाति जनगणना को लेकर लगातार मांग की जा रही है। विपक्ष भाजपा को मात देने के लिए पिछड़ी और अनुसूचित जाति के वोटरों को साधने का प्रयास कर रहा है।

- रोहिणी आयोग को ओ.बी.सी. के अंतर्गत आने वाली जातियों-उपजातियों में समान रूप से आरक्षण का बंटवारा किया जा सके इसके लिए उपाय एवं सुझाव ढूंढ़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी
- क्या राजनीतिक कारणों से रिपोर्ट आने में इतना विलम्ब और राजनीतिक कारणों से ही इस मौके पर यह रिपोर्ट तुरंत लाई गई है।
- रोहिणी आयोग का गठन वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व रिटायर्ड जज जस्टिस जी. रोहिणी की अध्यक्षता में की गई थी।
- रोहिणी आयोग ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी।

ओ.बी.सी. के उप वर्गीकरण (सब-कैटेगरी) के परीक्षण के लिए अक्टूबर, 2017 की एक अधिसूचना के मार्फत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यह आयोग गठित किया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी इस आयोग की अध्यक्ष हैं।

उनके नाम के चलते ही इसे रोहिणी आयोग कहा जाता है। अक्टूबर 2017 में गठित सेवानिवृत्त न्यायाधीश जी. रोहिणी की अध्यक्षता वाले आयोग को अब तक 14 बार विस्तार मिल चुका है। शुरुआत में ओ.बी.सी. कैटेगरी के भीतर लगभग 3,000 जातियों को उप-वर्गीकृत करने के लिए 12 सप्ताह का समय दिया गया था। लेकिन फिर इसे और विस्तार दिया गया। रोहिणी आयोग से ओ.बी.सी. जातियों के बीच 27 ओ.बी.सी. कोटा को समान रूप से विभाजित करने की सिफारिश करने के लिए भी कहा गया था।

समाज कल्याण मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि 13 बार कार्यकाल बढ़ाये जाने के बाद इस आयोग ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। आयोग को ओ.बी.सी. की केंद्रीय सूची में विभिन्न प्रविष्टियों का अध्ययन करने का जिम्मा दिया गया था। उसे किसी भी पुनरावृति, अस्पष्टता, विसंगति, वर्तनी या प्रतिलेखन (ट्रांसक्रिप्शन) की त्रुटियों को सुधारने, ओ.बी.सी. के बीच आरक्षण के लाभों के असमान वितरण का पता लगाने, तथा इन विभिन्न खामियों को वैज्ञानिक ढंग से दूर करने के लिए प्रणाली, मापदंड आदि तैयार करने का भी जिम्मा दिया गया था।

आयोग का गठन इस उम्मीद से किया गया था कि भाजपा सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के उप-समूहों को चिह्नित करके उनके बीच 27 केंद्रीय कोटा समान रूप से बांट सके। सीधे शब्दों में कहें तो उप-वर्गीकरण के पीछे का विचार विभिन्न ओ.बी.सी. समुदायों के बीच आरक्षण लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करना है। अक्सर इस तरह की शिकायतें आती रहती हैं कि मजबूत जातियां अपने अच्छे आर्थिक और शैक्षिक स्तर के कारण बेहतर प्रतिस्पर्धी क्षमताओं के दम पर कमजोर जातियों के हिस्से के आरक्षण लाभों को हड़प लेती हैं।

'हरियाणा की साम्प्रदायिक हिंसा पूर्वनियोजित षडयंत्र का हिस्सा है'

चंडीगढ़, 1 अगस्त (वार्ता)। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज ने नूंह की घटना को 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताते हुये कहा है कि यह किसी बड़े षडयंत्र का हिस्सा प्रतीत होती है।

- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह बात कही, नूह में सोमवार को फैली थी हिंसा जिसमें 2 पुलिसकर्मियों सहित पांच लोगों की मौत हो चुकी है।

दोनों नेताओं ने मंगलवार को यहां वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक में स्थिति की समीक्षा करते हुये यह बात कही तथा स्पष्ट किया कि सरकार उपद्रवियों को किसी सूरत में नहीं बख्शेगी एवं कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी। उन्होंने लोगों से शांति बहाल करने में सरकार के प्रयासों में मदद करने की अपील की।

पांच सालों में सुरक्षाबलों के 53 हजार जवानों ने नौकरी छोड़ दी

बी.एस.एफ के 23 हजार तथा सी.आर.पी.एफ के 13 हजार जवान नौकरियों से त्याग पत्र दे चुके हैं

नई दिल्ली, 1 अगस्त। केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में ये जानकारी दी कि, पिछले पांच साल में 53 हजार से अधिक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सी.ए.पी.एफ.) के जवानों ने अपनी नौकरी छोड़ दी। सरकार ने बताया कि कुल 53,336 सी.ए.पी.एफ. कर्मियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या इस्तीफा देकर अपनी नौकरी छोड़ दी। 53,336 सी.ए.पी.एफ. कर्मियों में से, 47,000 सैनिकों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वॉलेंटियरी रिटायरमेंट या वी.आर.) ले ली, जबकि 6,336 ने अपनी सर्विस से इस्तीफा दे दिया। यह आंकड़ा 2018 से 2022 तक है।

- केन्द्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर के प्रश्न के जवाब में यह जानकारी लोकसभा में पेश की।
- 53,336 सी.ए.पी.एफ. कर्मियों में से, 47,000 सैनिकों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वॉलेन्टरी रिटायरमैंट या वीआर) ले ली, जबकि 6,336 ने अपनी सर्विस से इस्तीफा दे दिया। यह आंकड़ा 2018 से 2022 तक का है।

कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर के प्रश्न का लिखित जवाब देते हुए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के जवाब में कहा, "2021 में 12,003 कर्मियों ने नौकरी छोड़ी। वहीं 2022 में कुल 12,380 लोगों ने सी.ए.पी.एफ. से अपनी नौकरी छोड़ दी। 2020 में 7,690, 2019 में 10,323 और 2018 में 10,940 लोगों ने नौकरी छोड़ी।"

नित्यानंद राय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 2018 से 2022 के बीच सीमा सुरक्षा बल यानी बी.एस.एफ. के सबसे ज्यादा 23,553 जवानों ने नौकरी छोड़ी है। इसमें से 21,692 जवानों ने वी.आर. लिया और 1861 ने इस्तीफा दिया था। इसके बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से 13,640 जवानों ने नौकरी छोड़ी। इनमें से 13,027 ने वी.आर. लिया और 613 ने इस्तीफा दिया। तीसरे नंबर पर असम राइफल्स है, जहां 5,393 (5,313 वीआर और 80 इस्तीफा) जवानों ने नौकरी छोड़ी।

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.) से 5,151; भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आई.टी.बी.पी.) से 3,165 और सशस्त्र सीमा बल (एस.एस.बी.) से 2,434 जवानों ने नौकरी छोड़ी।

अविश्वास ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चर्चा कराने में अधिकतम संभव विलम्ब किया जाये। नियम यह कहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा लोकसभा द्वारा इसे स्वीकार किये जाने के 10 दिन के अंदर हो ही जानी चाहिये। ज्ञातव्य है कि 8 अगस्त को चर्चा के लिये अंतिम तिथि थी क्योंकि गोगोई ने यह प्रस्ताव 20 जुलाई को पेश किया था।

अविश्वास प्रस्ताव को चर्चा/मतदान के लिये सूचीबद्ध किये जाने में हुये विलम्ब के प्रति अपना विरोध जताते हुये, कांग्रेस ने इस मीटिंग का बहिष्कार कर दिया।

विपक्षी गठबंधन इंडिया सरकार पर लगातार दबाव बनाये हुये हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया है कि वे चुनावी प्रयोजनों से पूरे देश में घूम रहे हैं लेकिन सत्र के दौरान मणिपुर दुखान्तिका पर संसद में आने से बच रहे हैं।

सेना के सभी अधिकारियों के लिए एक समान वर्दी का रूल लागू हुआ

नई दिल्ली, 1 अगस्त। सेना ने सीनियर लीड के पदों पर तैनात अधिकारियों में एक समान पहचान और दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के लिए सामान्य वर्दी अपनाई है। ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के लिए सामान्य वर्दी का निर्णय अप्रैल में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की अध्यक्षता में सेना कमांडरों के सम्मेलन के दौरान व्यापक विचार-विमर्श के बाद लिया गया था, जिसे मंगलवार को लागू कर दिया गया।

- पहले, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पहनी जाने वाली वर्दी उनके हथियारों और रैंक के आधार पर भिन्न होती थी।
- उदाहरण के लिए, गोरखा राइफल्स के जनरल्स अपनी ट्रैडमार्क टोपी पहना करते थे। विशिष्ट बख्तरबंद रेजिमेंटों के जनरल्स भूरे रंग के जूते पहनते थे, और विशेष बल के जवान प्रसिद्ध मरुन कलर की बैरेट पहना करते थे।

नए नियम लागू होने के साथ वरिष्ठ अधिकारी अब अपने से संबंधित हथियारों और सेवाओं के लिए विशिष्ट साज-सामान नहीं रखेंगे। कंधे के चारों ओर लटकने वाली डोरी को भी हटा दिया गया है। ये अधिकारी अब गहरे हरे रंग की बेरी पहनेगे हैं। वे सभी पीतल के रैंक पहनेंगे। इन अधिकारियों में प्रमुख जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और सेना प्रमुख शामिल हैं।

पहले, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पहनी जाने वाली वर्दी उनके हथियारों के आधार पर भिन्न होती थी। उदाहरण के लिए, गोरखा राइफल्स के जनरलों ने अपनी ट्रेडमार्क टोपी पहना करते थे। विशिष्ट बख्तरबंद रेजिमेंटों के उनके समकक्ष भूरे रंग के जूते पहनते थे, और विशेष बल के जवान प्रसिद्ध मैरून बेरेट पहना करते थे।

सभी वरिष्ठ अधिकारी अब से केवल काले जूते पहनेंगे। बेल्ट अब रेजमेंट या सेवा विशिष्ट नहीं है।

यू.पी. में साम्प्रदायिक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आ गया है, जो याचिका अधीनस्थ न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें ए.एस.आई. को एक सर्वे करने की अनुमति दी गई थी जिससे तय हो सके कि संबंधित मस्जिद किसी मंदिर के ऊपर बनाई गई थी या नहीं। इस तमाम बयानों के फलस्वरूप, धार्मिक एवं राजनैतिक मामलों में उफान आ सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनका पूर्व में दिया गया विवादास्पद बयान अखबारों की सुर्खी बन चुका है, ने आग में घी डालते हुये कहा है कि अगर भाजपा हर मस्जिद के नीचे कोई मंदिर ढूढ़ेगी तो लोग मंदिरों के नीचे बौद्ध मठ/विहार ढूंढ़ना शुरु कर देंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे साक्ष्य हैं जो यह दर्शाते हैं कि बद्रीनाथ तथा केदारनाथ मंदिर नवीं तथा 8वीं शताब्दी में बौद्ध मठ थे। उन्होंने जोर देते हुये कहा कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर, सबरीमाला का अयप्पा मंदिर तथा पन्ढ़रपुर का विठोबा मंदिर बौद्ध मठ थे, जिन्हें ध्वस्त करके हिन्दू धर्म के तीर्थ बना दिये गये। उन्होंने कहा कि लोगों को चाहिये कि वे ऐसे मुद्दे उठाये जाने के प्रति सावधान एवं सतर्क रहें ताकि साम्प्रदायिक सौहार्द एवं सभी धर्मों के सम्मान की भावना बनी रहे।

मौर्य की टिप्पणी पर बसपा प्रमुख मायावती ने बड़ी तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने मौर्य से सवाल किया है कि वे इन मामलों पर उस समय क्यों खामोश थे, जब वे भाजपा सरकार में मंत्री थे। मायावती ने कहा, "चुनावों के समय विवाद पैदा करना उनकी (मौर्य) एवं समाजवादी पार्टी की घृणित राजनीति है। इनके द्वारा बौद्ध तथा मुस्लिम समुदाय दिग्भ्रमित नहीं होने वाला हैं।"

'मणिपुर में...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आरंभ में सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने मणिपुर सरकार की ओर से स्टेट्स रिपोर्ट पेश की और माना कि ज़मीनी स्थिति बहुत बुरी है और कोर्ट द्वारा बताई गई गलतियों का कोई औचित्य नहीं है।

मेहता ने कहा कि कुल 6523 एफ.आई.आर. हैं जिनमें जीरो और पंजीकृत दोनों हैं। इनमें से अधिकांश को संबंधित थानों में भेज दिया गया है और पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील होने को कहा गया है। मणिपुर पुलिस ने सात लोगों को गिरफ्तार किया है जिनमें से एक किशोर है।

सीमा क्षेत्रों (मणिपुर) में हो रही घटनाओं को बहुत व्यथित करने वाली बताते हुए एटॉर्नी जनरल बताते हुए एटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमण ने कहा, "हमें एक संतुलित रवैया अपनाना पड़ेगा। सरकार विवरण लेकर वापस आएगी और कोर्ट की सहायता करेगी। सी.बी.आई. को देखने दीजिए वास्तविकता क्या है।"

बैंच ने कहा कि सी.बी.आई. के लिए इतने मुकदमों की जांच करना संभव नहीं हैं इसलिए वह मामले को देखने के लिए रिटायर्ड जजों का पैनल बनाने जा रहा है। दो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के वीडियो को "बहुत चिंताजनक" बताते हुए बैंच ने राज्य पुलिस से एफ.आई.आर. दर्ज होने में हुए लंबे विलंब के बारे में पूछा।

जस्टिस चन्द्रचूड़ ने कहा, "एक बात स्पष्ट है कि वीडियो मामले में एफ.आई.आर. दर्ज करने में देरी हुई।"

वायरल वीडियो के संबंध में एफ.आई.आर. दर्ज करने में विलंब के लिए मणिपुर पुलिस की खिंचाई करत हुए कोर्ट सोमवार को इसे "अभूतपूर्व स्तर का जघन्य अपराध" बताया और एस.आई.टी. गठित करने के संकेत दिए।

कल सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से मुश्किल सवाल पूछे।

शिव सेना ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

शामिल हैं, ने कहा कि संवैधानिक बैंच को जम्मू-कश्मीर का मामला निपटा लेने दीजिए।

याचिका में दावा किया गया है कि चुनाव आयोग का यह कहना गलत है कि दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता व चुनाव चिन्ह आदेश के तहत कार्यवाही विभिन्न क्षेत्रों में होती है और विधायकों को अयोग्य किसी राजनैतिक दल की सदस्यता त्यागने पर आधारित नहीं है।

यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग का यह मानना गलत है कि शिव सेना में विभाजन हो गया है।

चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिव सेना के रूप में मान्यता देकर स्व. बाला साहेब ठाकरे द्वारा स्थापित अविभाजित शिव सेना का चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया था।

सी.एम. गहलोत के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कर दिया है। साथ ही अदालत ने सी.एम. गहलोत को 7 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंन्सिंग (वी.सी.) के जरिए पेश होने के लिए कहा है। इसके साथ ही अदालत ने मामले की अंतिम बहस 17 अगस्त को तय की है। अदालत ने यह आदेश अशोक गहलोत की रिवीज़न याचिका पर दिए। रिवीज़न में सी.एम. ने निचली कोर्ट के 6 जुलाई के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें समन के जरिए अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया था। सी.एम. की ओर से पूर्व महाधिवक्ता जी.एस. बापना ने पैरवी करते हुए कहा कि, मामले में दायर मानहानि के परिवाद में आपराधिक मानहानि के कोई तत्व ही नहीं हैं। अखबार में छपी खबरों को पूर्ण रूप से सत्य नहीं माना जा सकता। इसके अलावा सी.एम. ने जो बयान दिया था वह गृह मंत्री के तौर पर और एस.ओ.जी. की रिपोर्ट के आधार पर दिया था। एस.ओ.जी. ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में परिवादी शेखावत को आरोपी माना है। वहीं निचली अदालत ने मामले में प्रसंज्ञान लिए बिना ही साक्ष्य लिया है। इसलिए उनके खिलाफ समन पर रोक लगाई जाए। अदालत ने समन पर रोक लगाने से इन्कार करते हुए सी.एम. को व्यक्तिगत पेशी के बजाय वी.सी. के जरिए पेश होने के लिए कहा।

गौरतलब है कि, केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह ने दिल्ली की निचली कोर्ट में संजीवनी घोटाले मामले में, सी.एम. गहलोत के बयानबाजी करने पर उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का दावा दायर किया है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सी.एम. गहलोत को समन जारी कर तलब किया था।

सुप्रीम कोर्ट से कर्नाटक के उप मु.मंत्री को बड़ी राहत

नई दिल्ली, 1 अगस्त (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) की याचिका सोमवार को खारिज कर दी, जिसमें कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के कथित तौर पर अर्जित आय से अधिक संपत्ति की जांच पर अंतरिम रोक लगा दी गई थी।

- सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक सम्पत्ति रखने के मामले में डी.के. शिवकुमार के खिलाफ सी.बी.आई जांच की याचिका खारिज कर दी
- केंद्रीय एजेंसी सीबीआई ने अपने आरोप में दावा किया कि कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री रहते हुए शिवकुमार ने अप्रैल 2013 से अप्रैल 2018 तक आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक 74.93 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की थी।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष शिवकुमार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने दलील देते हुए कहा कि मामला उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष लंबित है। पीठ ने इसका दलील का संज्ञान लिया और सी.बी.आई. की याचिका खारिज कर दी।

सिंघवी ने कहा कि सीबीआई की याचिका उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेशों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मामला उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय के अंतिम चरण में है।

शीर्ष अदालत की पीठ ने अपने आदेश में कहा,चूंकि वर्तमान विशेष अनुमति याचिका पूरी तरह से एक अंतरिम आदेश से उत्पन्न हुई है, हम वर्तमान याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। संबंधित पक्षकारों के लिए उपलब्ध सभी प्रश्न उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए रखे गए हैं।

इससे पहले सी.बी.आई. की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिए गए रोक आदेश के खिलाफ एक अलग याचिका दायर की है।

गौरतलब है कि इस फरवरी 2023 में उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के नटराजन की एकल पीठ ने शिवकुमार को 74 करोड़ रुपये के आय से अधिक संपत्ति मामले में अंतरिम राहत दी थी, जिसकी जांच सी.बी.आई. द्वारा की जा रही थी। केंद्रीय एजेंसी सी.बी.आई. ने अपने आरोप में दावा किया कि कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री रहते हुए शिवकुमार ने अप्रैल 2013 से अप्रैल 2018 तक आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक 74.93 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की थी।

'गलत टैस्ट रिपोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कार्यरत टैक्नीशियन और लैब में रिपोर्ट को हस्ताक्षरित करने वाले डॉक्टर की जानकारी लेना अनिवार्य है।

यह जानकारी लैब के संचालकों को रूल्स में वर्णित 'फॉर्म' को भरकर देनी होती है। इसके बाद चिकित्सा विभाग अगले दस दिन के भीतर लैब का अस्थायी पंजीयन कर लैब संचालकों को "सर्टिफिकेट" दे देता हैं।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कानून के अनुसार प्रशासन को अस्थायी पंजीयन का सर्टिफिकेट देने के बाद दो साल के भीतर उक्त लैब्स का सर्वे कर पुष्टि करनी होती है कि उनके द्वारा दी गई जानकारी सही है कि नहीं। सर्वे के दौरान चिकित्सा अधिकारियों को यह देखना होता है कि लैब कानून द्वारा तय किए गए न्यूनतम मानकों का अनुसरण कर रही है कि नहीं। जो लैब्स न्यूनतम मानकों का अनुसरण कर रही होती हैं केवल उन्हीं का स्थायी पंजीकरण किया जा सकता है।

केन्द्र सरकार ने वर्ष 2020 में न्यूनतम मानकों में संशोधन किया था, अतः राज्य सरकार को 2022 से मैडिकल लैब्स का सर्वे कर स्थायी पंजीयन कर लेना चाहिए था और उससे संबंधित आंकड़े ना केवल अपनी वैबसाईट पर प्रकाशित कर देने चाहिए थे बल्कि केन्द्र सरकार के साथ भी साझा कर देने चाहिए थे। यह बड़ी चौंकाने वाली बात है कि कानूनी स्थिति को जानते हुए भी राज्य सरकार ने चंद जिलों में मैडिकल लैब्स का ही स्थायी पंजीयन किया और जयपुर और अन्य कई बड़े जिलों में किसी भी लैब का पंजीयन नहीं किया है चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट।

इस खोज खबर के दौरान आर.टी.आई. से प्राप्त इस जानकारी में यह भी देखा गया कि एक तरफ स्वास्थ्य विभाग ने केन्द्र सरकार को दौसा जिले में पंजीयन हो चुकी लैब्स के विषय में कोई जानकारी नहीं दी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है की केन्द्र सरकार की वैबसाइट पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, जबकि केन्द्र सरकार के अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार उनकी वैबसाईट पर उपलब्ध जानकारी ही नवीनतम जानकारी है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार से दौसा जिले में पंजीकृत लैब्स की जानकारी मांगी गई तो पता चला कि स्वास्थ्य विभाग ने 21 लैब्स का स्थायी पंजीयन किया है, जिनमें कई सरकारी और कई प्राइवेट लैब्स हैं। हैरानी की बात है कि राज्य सरकार से आर.टी.आई. के माध्यम से यह जानकारी 24 अगस्त 2021 को मांगी थी, परंतु केन्द्र सरकार की वैबसाईट अनुसार आज भी दौसा जिले में एक भी लैब पंजीकृत नहीं है। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच सामंजस्य और तालमेल के विचित्र अभाव के कारण आमजन को सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। जबकि कानूनी तौर पर राज्य सरकार को यह जानकारी केन्द्र सरकार के साथ साझा करनी ज़रूरी है।

दस्तावेज़ नं. "ए" में आर.टी.आई. द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार दौसा जिले में 21 मैडिकल लैब्स का स्थायी पंजीकरण किया जा चुका है। परंतु यह जानकारी राज्य सरकार ने अपनी किसी भी वैबसाईट पर या अखबार में प्रकाशित नहीं की है। दूसरी ओर यह जानकारी केन्द्र सरकार की वैबसाईट पर भी नहीं है। उल्लेखनीय है कि दस्तावेज़ नं. "बी" से स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने लैब्स के पंजीकरण से संबंधित जानकारी ना तो केन्द्र सरकार के साथ साझा की है और ना ही अखबारों में प्रकाशित करवाई है, जो कि नियमों का सीधा-सीधा उल्लंघन है।

दस्तावेज 'ए'

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा

क्रमांक/कलनी/2021/601 दिनांक 24.08.2021

श्रीमान निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये राज0 जयपुर।

विषयः- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की सूचना भिजवाने बाबत ।
संदर्भः-आपके पत्रांक चिप्र/सीईए/आरटीआई2005/2021/1665 दिनांक 17.08.2021

महोदय,
उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रानुसार रोग विज्ञान प्रयोगशाला स्थाई पंजीकरण चाही गई सूचना दौसा जिले की निम्नानुसार प्रेषित है।

क्र0 स0	नैदानिक स्थापन का नाम और पता	पंजीकरण की तिथी
1	श्री बालाजी लैब एण्ड डाईग्नोस्टिक सेन्टर दौसा	10.06.2020
2	राजधानी हॉस्पिटल एण्ड डाईग्नोस्टिक सेन्टर दौसा	10.06.2020
3	श्री श्याम एक्स रे एण्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर दौसा	26.03.2021
4	ओके डायग्नोस्टिक सेन्टर दौसा	26.03.2021
5	जयपुर एक्स रे एण्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर दौसा	26.03.2021
6	एडवास एक्स रे एण्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर दौसा	26.03.2021
7	ए वन डायग्नोस्टिक सेन्टर दौसा	26.03.2021
8	स्टार एक्स रे एण्ड पैथ लैब दौसा	26.03.2021
9	शिवम् लैब एण्ड वेलनेस सेन्टर दौसा	26.03.2021
10	माया देवी मेमोरियल हॉस्पिटल एण्ड डाईग्नोस्टिक सेन्टर महवा	26.03.2021
11	प्रखर लैब बॉदीकुई	26.03.2021
12	साकेत डायग्नोस्टिक सेन्टर बॉदीकुई	26.03.2021
13	लक्ष्मी एक्सरे एण्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर दौसा	30.07.2021
14	गोमती डायग्नोस्टिक सेन्टर महवा	30.07.2021
15	रिलाइबल डायग्नोस्टिक सेन्टर दौसा	30.07.2021
16	जगहितम हॉस्पीटल बॉदीकुई	30.07.2021
17	यूनिक केयर डायग्नोस्टिक सेन्टर दौसा	30.07.2021
18	श्वेता डायग्नोस्टिक सेन्टर बॉदीकुई	30.07.2021
19	विनायकलैबोरेट्री एण्ड एक्स-रे सेन्टर बॉदीकुई	30.07.2021
20	शिव डायग्नोस्टिक सेन्टर बॉदीकुई	30.07.2021
21	शर्मा क्लिनिक एण्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर बॉदीकुई	30.07.2021

डॉ मनीष चौधरी
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा

क्रमांक/कलनी/2021/605 दिनांक 24.08.2021
प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
दौसा

दस्तावेज 'बी'

Page 3 of 34

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर
स्टेट हैल्थ सोसायटी (एन.सी.डी.)
E-mail ID<npcdcsrajasthan@gmail.com> Contact No. : 9413923136

क्रमांकः एन.सी.डी./CEA/2021-22/460-70 दिनांकः 27-7-2021

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
राजस्थान।

विषयः-क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेन्ट एक्ट 2010 एवं राजस्थान क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेन्ट रूल्स 2013 के अन्तर्गत निजी चिकित्सालयों का अस्थाई एवं रोग विज्ञान प्रयोगशाला के स्थाई पंजीकरण की सूचना प्रेषित करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेन्ट एक्ट 2010 एवं राजस्थान क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेन्ट रूल्स 2013 के अन्तर्गत सभी पद्धति के राजकीय एवं निजी चिकित्सालय, क्लिनिक तथा अन्य चिकित्सा संस्थानों का अस्थाई पंजीकरण किया जाना है एवं रोग विज्ञान प्रयोगशाला के न्यूनतम मानक की अधिसूचना जारी हुए 2 वर्ष से अधिक समय होने के कारण उनका केवल स्थाई पंजीकरण ही किया जाना है।

राजस्थान क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेन्ट रूल्स 2013 की धारा 5(3) के अनुसार जिन चिकित्सा संस्थानों का अस्थाई पंजीकरण किया गया है उनकी सूचना 45 दिवस में विभागीय वेबसाईट एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का प्रावधान है।

उक्त रूल्स की धारा 6(2) के अनुसार रोग विज्ञान प्रयोगशाला स्थाई पंजीकरण किया जाना है, के द्वारा न्यूनतम मानक की पूर्ति की गई है, के संबंध में 30 दिवस में आपत्ति (Objection) लेने हेतु प्रपत्र 4 को भरकर दो स्थानीय समाचार पत्रों मे प्रकाशित एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का प्रावधान है।

उक्त एक्ट एवं रूल्स के अन्तर्गत चिकित्सा संस्थानों एवं रोग विज्ञान प्रयोगशाला का अस्थाई एवं स्थाई पंजीकरण के संबंध में विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं दो स्थानीय समाचार पत्रों मे प्रकाशित करने के संबंध में सूचना निदेशालय को प्रेषित नहीं की जा रही है जिससे उक्त एक्ट एवं रूल्स में वर्णित नियम का उल्लंघन (Violation) हो रहा है।

अतः वर्तमान में अस्थाई/स्थाई पंजीकृत चिकित्सा संस्थान/रोग विज्ञान प्रयोगशाला की सूचना संलग्न प्रपत्र में दिनांक 26.07.2021 तक ईमेल आईडी npcdcsrajasthan@gmail.com पर भिजवाना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में अस्थाई/स्थाई पंजीकृत किये गये चिकित्सा संस्थान/रोग विज्ञान प्रयोगशाला की सूचना प्रत्येक माह की 1 व 16 तारीख को उक्त ईमेल आईडी पर भिजवाना सुनिश्चित करें। सूचना समय पर नहीं भिजवाने की स्थिति में एक्ट/रूल्स का उल्लंघन(Violation) मानते हुए होने वाली विभागीय कार्यवाही के लिए आप स्वयं व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।

पत्र को पूर्ण प्राथमिकता देवें।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
जयपुर (राज.)

क्रमांकः एन.सी.डी./CEA/2021-22/460-70 दिनांकः 27-7-2021
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-
1. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वा./आरसीएच) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
3. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
5. समस्त उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वा.), राजस्थान।
6. समस्त क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेन्ट एक्ट सैल, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.।
7. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय।
8. कार्यालय प्रति।

संयुक्त निदेशक (चि.प्र.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
जयपुर (राज.)

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादकः- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालयः-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालयः-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालयः-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालयः-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालयः एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908